(124)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

एस.के. श्रीवास्तव प्रकरण कमांक निग 3745 – I - 16 /2016 पुनरीक्षण

27/10/16

27.10.16

389
27.10.16

S.K. Shrivastava
A.
27/10/16

श्रीमती सावित्रीदेवी पत्नी श्री रामनाथ लटोरिया निवासी– ग्राम पवई, तहसील पवई, जिला पन्ना, म0प्र0

--आवेदिका

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. कलुवा चमार तनय नन्दी चमार (मृतक)द्वारा प्रस्तावित वारिसानः–
   अ– तुलसिया बेवा कलुवा,
   ब– नत्थू पुत्र स्व0 श्री कलुवा,
   स– हग्गन पुत्र स्व0 श्री कलुवा
   निवासीगण– ग्राम पवई, तहसील पवई, जिला पन्ना, म0प्र0

--अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12/11/2012 पारित द्वारा न्यायालय श्री आर0एस0 द्विवेदी अपर कलेक्टर जिला पन्ना म0प्र0, प्रकरण कमांक 14/स्वमेव निगरानी/अ–21

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3745–एक/2016 जिला–पन्ना

श्रीमती सावित्री देवी विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 14/स्वमेव निग./अ–21/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 21/02/2019 सदस्य	